

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	मोहन लाल अटल, कावट -सीकर	07.04.1956	30.04.2016
2	प्रमीला खमेसरा, बा0 टेकरी -उदयपुर	13.05.1956	31.05.2016
3	लक्ष्मीकान्त, देसूरी -पाली	05.06.1956	30.06.2016
4	हरिमोहन गुप्ता, बडा गांव खेडला- दौसा	02.07.1956	31.07.2016
5	अरुण कुमार शर्मा, ढीकली-उदयपुर (सवै. सेवानिवृत्ति)	09.07.1959	03.08.2016
6	राजाराम, कोहराना-अलवर	07.09.1956	30.09.2016
7	श्यामकिशोर त्रिवेदी, कनबई-उदयपुर	19.09.1956	30.09.2016
8	हेतनारायण व्यास, ऋषभदेव-उदयपुर	10.11.1956	30.11.2016

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 03/06/16

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2015-16

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

मा'क

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर